(176)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष
एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्र0क0 4283–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.12.2016 पारित द्वारा तहसीलदार अंबाह जिला मुरैना म0 प्र0 प्रकरण कमांक 36/अ–6/2011–12 .

शिवप्रसाद उर्फ शिवप्रताप शर्मा
पुत्र श्री मिटठूलाल शर्मा
निवासी भूमियां रोड अम्बाह
तहसील अम्बाह जिला मुरैना
मध्यप्रदेश ––– आवेदक

विरूद्ध

1–महेश चन्द्र पुत्र तुलाराम
निवासी डाक्टर कालोनी अम्बाह
तहसील अम्बाह जिला मुरैना
मध्यप्रदेश
2–नवजीत शर्मा पुत्र बासुदेव शर्मा
निवासी भूमियां रोड अम्बाह
तहसील अम्बाह जिला मुरैना
मध्यप्रदेश ––– अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0 के0 अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0 पी0 धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 5 –2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 36/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2-प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अम्बाह की विवादित भूमि सर्वे कमांक 1802/2 रकवा 0.763 है0 में से 1/2 भाग यानी 0.381 है0 भूमि का रजिस्टर्ड जरिये विकय पत्र कराया है। विकेता बासुदेव की वजाय अनावेदक कमांक -1 महेश चन्द्र पुत्र तुलाराम एवं नवनीत पुत्र वासुदेव के नाम वहैसियत भूमिस्वामी नामांतरण कर अमल करने हेतु तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के समक्ष अनावेदक महेश चन्द्र शर्मा द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आवेदक की ओर से आपत्ति पेश की गई। आदेश पत्रिका दिनांक 15.12.2016 के अनुसार उभयपक्ष के अधिवक्तागंण द्वारा धारा 32 के आवेदन पत्र पर बहस की तथा धारा 32 की आपत्ति अस्वीकार की गई है । उनके द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण कमांक 17/15 ई0 दी0 प्रचलित होना स्वीकार किया है लेकिन स्थगन आदेश नहीं होना बताया गया है। प्रकरण में अगली पेशी दिनांक 21.12.16 आवेदक साक्ष्य हेतु नियत की गई थी इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट प्रमाणित होते हुये भी कि विवादित भूमि के स्वत्व के संबंध में वर्तमान में प्रकरण दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में कार्यवाही गतिशील

रहने का आदेश दिये जाने एवं प्रार्थी के आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने में भूल की गई है। आगे अपने तर्क में कहा गया है कि दीवानी न्यायालय में स्वत्व के संबंध में विवाद विचाराधीन होने पर प्रकरण में कार्यवाही करना इस माननीय न्यायालय एवं माननीय वरिष्ठ न्यायालयों के अभिनिर्धारणों पर विचार किये बिना पारित विवादित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4-अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने जो आपत्ति निरस्त की है वह उचित है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि दीवानी न्यायालय में प्रकरण प्रचलित तो है लेकिन उसमें कोई स्थगन आदेश नहीं है। आवेदक अधिवक्ता विचारण न्यायालय में दीवानी प्रकरण में स्थगन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने में अक्षम रहे है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि बिना स्थगन के प्रकरण को लंबित रखना उचित नहीं है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्व में राजस्व मण्डल न्यायालय में इसी भूमि से एवं इन्हीं पक्षकारों से संबंधित निगरानी प्रकरण कमांक 1812-एक/12 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2016 आवेदक के विरूद्ध पारित आदेश किया गया था। अतः आवेदक की निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अध्ययन किया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार अम्बाह ने अपने आदेश पत्रिका में उल्लेख किया है कि माननीय दीवानी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है जिससे प्रकरण में आगामी कार्यवाही को रोका जाना न्याय से वंचित करना होगा । विचारण

न्यायालय द्वारा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। जहां पर अभी आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त है तथा आवेदक अधिवक्ता के तर्क में यह भी बल मिलता है कि पूर्व में आवेदक के विरूद्व निगरानी निरस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 स्थिर रखा जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर